बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय – **बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के संबंध में।**

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन, बिहार के द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों में जो सुविधा प्रदान की जा रही है, उसी की भाँति बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सुविधा प्रदान की जाय। इस संदर्भ में दिनांक–30.07.2015 को प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के साथ बैठक की गई।

बिहार राज्य के निकटवर्ती अन्य राज्यों से उनके राज्यान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त की गई।

एतद् संबंधी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है।

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाय, अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0....................पटना–15, दिनांक–....................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–10/2015 सा0प्र0 13185 पटना–15, दिनांक– 3-9-15

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।